कार्यालयः–प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.)

।।आदेश।।

क्रमांक 33 / दो–11–02 / 2023 दुर्ग दिनांक 06.03.2024

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 6049 / तीन–18–27 / डी.ई. / 2023 दिनांक 12.05.2023 के अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने की अनुमति प्राप्त होने के फलस्वरूप इस कार्यालय स्थापना में सहायक ग्रेड–3 के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु गठित चयन समिति द्वारा लिये गये कौशल परीक्षा में चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के वेतन (19500–62000, वेतन मैट्रिक्स लेवल–4) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परीवीक्षा अवधि के लिए निम्नलिखित निर्धारित शर्तों के अधीन उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सहायक ग्रेड–3 के पद पर आगामी आदेश पर्यन्त नियुक्त किया जाता है:–

क्र.	उम्मीदवारों का नाम	उम्मीदवारों का पता	वर्ग	नियुक्ति का वर्ग
1.	श्री हरिओम दुबे पिता श्री जयकृष्ण दुबे	ग्राम मांजा, पोस्ट सरभोका तहसील रामानुजनगर जिला सूरजपुर (छ.ग.)	अनारक्षित	मुक्त अनारक्षित
2.	विधिरानी द्विवेदी पति श्री सूर्यकांत द्विवेदी	ब्लॉक नं. 11जी, द्वितीय फ्लोर, न्यू हाउसिंग बोर्ड कालोनी, खरमोरा, कोरबा जिला कोरबा (छ.ग.)	अनारक्षित	मुक्त अनारक्षित
3.	कुमारी सुरेखा पिता श्री दीपक कुमार	क्वाटर नं. एच–407, फारेस्ट कालोनी, सेक्टर–17, कोहराभाटा, नवा रायपुर, अटल नगर जिला रायपुर (छ.ग.)	अनुसूचित जनजाति	महिला अनारक्षित
4.	श्री सिद्धांत तिवारी पिता श्री दुर्गेश तिवारी	मकान नं. बी–23, दुर्गा मंदिर के सामने, आम्रपाली सहकारी गृह निर्माण सोसायटी, पचपेड़ी नाका, रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)	अनारक्षित	मुक्त अनारक्षित
5.	पार्वती मंडावी पिता श्री निजाम सिंह मंडावी	इंदिरा चौक, न्यू खुर्सीपार, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.)	अनुसूचित जनजाति	मुक्त अनुसूचित जनजाति
6.	श्री फिरोज कुमार अहिरवार पिता स्व. श्री महेश कुमार अहिरवार	मकान नं. 87, शंकर पारा, वार्ड नं. 16, शिव मंदिर, सुपेला भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.)	अनुसूचित जाति	मुक्त अनुसूचित जाति
7.	'श्री नीरज वर्मा पिता श्री शत्रुहन सिंह वर्मा	ग्राम व पोस्ट सिलयारी, थाना धरसींवा, व्याहा बैकुण्ठ, जिला रायपुर (छ.ग.)	अन्य पिछड़ा वर्ग	मुक्त अन्य पिछड़ा वर्ग

छत्तीसगढ़ सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अंतर्गत नियुक्ति की निर्धारित शर्तेः–

1. चयनित / नियुक्त अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र व समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति (मूल प्रति सहित), 02 नग सेवा पुस्तिका एवं 01 नग सामान्य भविष्य निधि पासबुक लेकर कार्यभार ग्रहण करते समय उपस्थित होना अनिवार्य होगा ।

2. चयनित/नियुक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला चिकित्सालय के जिला मेडिकल बोर्ड से अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरांत मेडिकल प्रमाण पत्र के साथ कार्यभार ग्रहण करेंगें ।

3. चयनित/नियुक्त अभ्यर्थी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्वा व निष्ठा रखेगें। आज्ञाकारिता के उत्कृष्ट मानदंड के अनुसार कार्य करेंगें तथा सौंपे गये कार्य को सहर्ष पूरा करेंगें ।

4. चयनित/नियुक्त अभ्यर्थियों का पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन कराये जाने पर प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने की दशा में उन्हें तत्काल सेवा से पृथक कर दिया जावेगा।

5. चयनित/नियुक्त अभ्यर्थियों को तीन वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे केवल एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी । इसके उपरांत भी यदि यह पाया जाता है कि, अभ्यर्थी के द्वारा अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं किया गया है, तो उनकी सेवाएं बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी ।

6. नियुक्ति पश्चात् किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस अथवा एक माह के वेतन व भत्ते के बराबर की राशि जमा/भुगतान कर सेवा समाप्त की जा सकेगी ।

7. सेवा के प्रथम वर्ष में उच्च शिक्षा हेतु अध्ययन के लिए अनुमति नहीं दी जावेगी, एक वर्ष पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक होगा, अन्य नियोजन हेतु भी नियुक्ति प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

8. शैक्षणिक अथवा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र किसी भी स्तर पर असत्य अथवा अमान्य पाये जाने पर अथवा किसी युक्तियुक्त कारणों से नियुक्ति निरस्त करने योग्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी को होगा ।

9. चयनित/नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा ।

10. उपरोक्त समस्त नियुक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता उनके नियुक्ति आदेश अनुसार निर्धारित की जावेगी ।.

11. उक्त नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा।

26/12/22

(सिराजुद्दीन कुरैशी)
प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र.135/दो–11–02/2023 दुर्ग, दिनांक 06.03.2024

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक 6562/तीन–18–27/2008 दिनांक 26.05.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
2. श्री हरिओम दुबे पिता श्री जयकृष्ण दुबे, निवासी–ग्राम मांजा, पोस्ट सरभोका तहसील रामानुजनगर जिला सूरजपुर (छ.ग.)
3. विधिरानी द्विवेदी पति श्री सूर्यकांत द्विवेदी, निवासी–ब्लॉक नं. 11जी, द्वितीय फ्लोर, न्यू हाउसिंग बोर्ड कालोनी, खरमोरा, कोरबा जिला कोरबा (छ.ग.)
4. कुमारी सुरेखा पिता श्री दीपक कुमार, निवासी–क्वाटर नं. एच–407, फारेस्ट कालोनी, सेक्टर–17, कोहराभाटा, नवा रायपुर, अटल नगर जिला रायपुर (छ.ग)
5. श्री सिद्वांत तिवारी पिता श्री दुर्गेश तिवारी, निवासी– मकान नं. बी–23, दुर्गा मंदिर के सामने, आम्रपाली सहकारी गृह निर्माण सोसायटी, पचपेड़ी नाका, रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)
6. पार्वती मंडावी पिता श्री निजाम सिंह मंडावी, निवासी–इंदिरा चौक, न्यू खुर्सीपार, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.)
7. श्री फिरोज कुमार अहिरवार पिता स्व. श्री महेश कुमार अहिरवार, निवासी–मकान नं. 87, शंकर पारा, वार्ड नं. 16, शिव मंदिर, सुपेला भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.)
8. श्री नीरज वर्मा पिता श्री शत्रुहन सिंह वर्मा, निवासी–ग्राम व पोस्ट सिलयारी, थाना धरसींवा, व्याहा बैकुण्ठ, जिला रायपुर (छ.ग.)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(सिराजुद्दीन कुरैशी)
प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.)

O/C